



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2984 वर्ष 2026

फुल्लो
याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	रुदुवंत प्रताप सिंह
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	सीएससी, कौशल किशोर मणि

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. भूमि प्रबंधन समिति द्वारा दिनांक 24.10.1975 को पारित प्रस्ताव में, याचिकाकर्ता के पक्ष में बिना कोई कारण बताए और बिना सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए भूमि आवंटित की गई थी।
2. उपरोक्त आवंटन को उप मंडल अधिकारी, रामपुर, गन्निहारन, जिला सहारनपुर/ प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांकित 15.01.2007 आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया था। आदेश इस प्रकार है:-
“तहसील आख्या से सहमत होते हुए प्रश्नगत भूमि को उसकी पूर्व नोययत में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं तदनुसार अभिलेखों में संशोधन हेतु पत्रावली तहसीलदार देवबन्द को भेजी जाये।”
3. जब याचिकाकर्ता को उपरोक्त आदेश की जानकारी मिली, तो उसने तुरंत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण याचिका और विलंब क्षमादान हेतु आवेदन दायर किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 01.08.2025 के आदेश द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया, अतः यह रिट याचिका दायर की गई है।
4. रिट याचिका के पैराग्राफ-10 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में कृषि पट्टा के रूप में पट्टा दिया गया था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा बिना कोई कारण बताए और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना इसे रद्द नहीं किया जा सकता था।
5. पुनरीक्षण आदेश में यह निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता को असामी पट्टा आवंटित किया गया था जो केवल 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध था। यदि यह तथ्य सही भी माना जाए, तब भी याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किए गए पट्टे को रद्द करने से पहले ही प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित कर दिया है।
6. इस मामले को देखते हुए, न्यायालय की प्रथम दृष्टया यह राय है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 15.01.2007 को पारित आदेश और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 01.08.2025 को पारित परिणामी आदेश स्वतः ही अवैध हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। अतः इन्हें निरस्त किया जाना चाहिए और इन्हें रद्द किया जाता है।
7. उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. हालांकि, यह आदेश प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् उप-विभागीय अधिकारी, रामपुर मनहारन, जिला सहारनपुर को याचिकाकर्ता के खिलाफ नई कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगा।

19 फरवरी, 2026
स्वाति

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"